



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय जिला ग्वालियर

विविध-660-PBR-15

(11)

याचिका क्र. /2015

याचिकाकर्ता

- राकेश सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह आयु- वर्ष
व्यवसाय-नौकरी निवासी-ग्राम नवली वृन्दावन
देवाला पोस्ट 1 जिला भिण्ड

रेस्पोंडेन्ट्स

- 1 म.प्र.शासन द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार
उमेश कौरव न्यायालय टप्पा मुरार ग्वालियर
- 2 बदनसिंह पुत्र श्री ग्याप्रसाद निवासी-ग्राम
मोहनपुर मुरार ग्वालियर
3. द्वारा मुख्याराम सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री
लाखन सिंह यादव निवासी-मोहनपुर जिला
ग्वालियर

श्री. के.के. पटेल एड.
द्वारा आज दि. 30.3.15 को
प्रस्तुत
के.के. पटेल एड.
क्लक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

के.के. पटेल एड.
द्वारा


रिट याचिका धारा 8 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रतिषेध
उत्प्रेषण, नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को प्रचलित किये जाने का एवं उचित आदेश,
निर्देश एवं याचिका के स्वत्व दिये जाने बावत्

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

याचिका का विवरण जिसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की जा रही है -

अ- आदेश दिनांक - 12.03.2015, 28.02.2015, 04.03.2015

R. K.



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

21 ✓

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-660-पीबीआर/15

जिला ग्वालियर


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

15-04-15

आवेदक अधिवक्ता श्री के०के०चतुर्वेदी उपस्थित ।
उन्हें ग्राह्यता पर सुना व प्रकरण का अवलोकन किया ।
आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार न्यायालय वृत्त मुरार
जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-2-15,
28-2-15 व 4-3-15 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह
विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।
अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि
तहसीलदार का आदेश अपील योग्य आदेश है । अतः प्रकरण
सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।


प्रशासकीय सदस्य